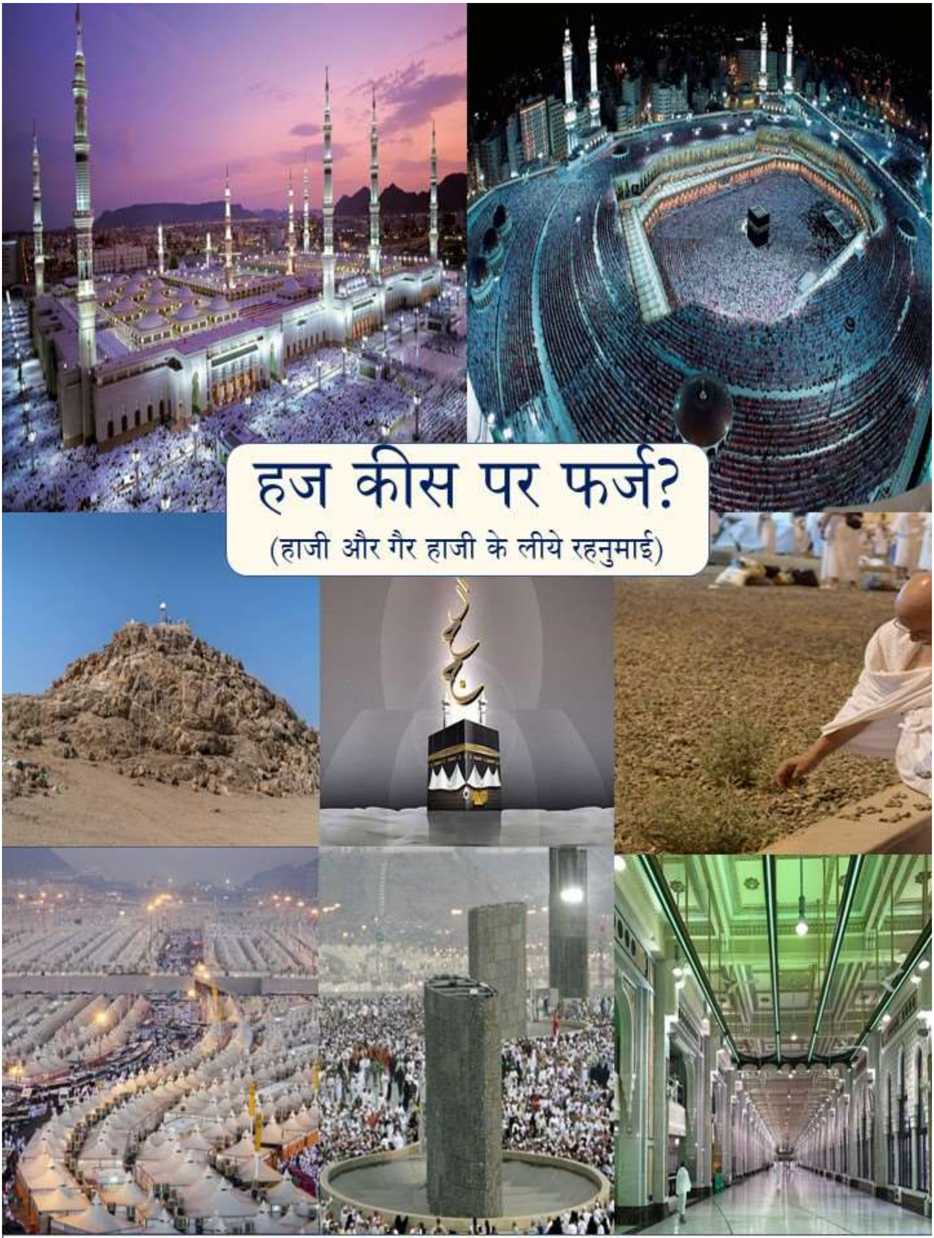

हज कीस पर फर्ज?

(हाजी और गैर हाजी के लीये रहनुमाई)

MUALLIF

MUFTI IMRAN ISMAIL MEMON

Ustaz E Darul Uloom Rampura Surat

मसअला नंबर	फेहरिस्ते मज़ामीन	पेज नंबर
१	पेश ए लफ्ज	५
	तफ़्सीर	
२	हज किन लोगों पर फ़र्ज़ ?	८
३	मक़ामे इब्राहीम की खुसूसियत।	१०
४	हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिन्दा मोजिजाह बैतुल्लाह की दुसरी ख़ुसूसिय्यात।	१२
	मसाईल	
५	हज किस पर फ़र्ज़ ?	१६
६	औरत के लिए हज का हुक्म।	१६
७	पैदल हज का हुक्म।	१८
८	पहले अवलाद की शादी या हज।	२१
९	पहले मकान बनाये या हज करे ?	२२
१०	मकान या ज़ाइद सामान बेच कर हज।	२३
११	वालिदैन को हज कराना।	२४
१२	सऊदी अरब में मुलाजमत करने वालों का	२४

	उमराह और हज।	
१३	क़र्ज़-दार के लिए हज का हुकम।	२५
१४	हज में जानेवाला वुसअत के बाद फ़क़ीर हो गया।	२८
१५	हज्जे बदल में भेजना कब वाजिब ?	२९
१६	हज्जे बदल की वसिय्यत।	२९
१७	हज में ताख़ीर।	३१
१८	हज में जाने के लीये हक़ीक़ी तैय्यारी।	३१
१९	हाजियों का दावत करना और उन को दावत खिलाना।	३४
२०	हाजियों को तोहफा हदिया देना और वसूल करना।	३६
२१	हज पर जाने वालेको मुतल्लिकीन (रिश्तेदार, दोस्त – अहबाब से) से मिलकर जाना चाहिए।	३७
२२	हज का मुख़्तसर तरीका।	३८
२३	हज से पहले उमराह करना।	४३
२४	हाजी की चांद गलतियों की तरफ इशारा।	४४
२५	हाजी कितनी क़ुरबानी करे ?	४९

२६	हज के लिए जमा की हुई रक़म पर ज़कात।	५०
२७	हज करने के बाद हाजी कहेलवाना और नाम के साथ हाजी लिखना।	५२
२८	हाजियों का इस्तेकबाल करना इसी तरह फूल-हार और नारों से हाजी की मुलाक़ात करना।	५३
२९	हज़ के बाद हाजी की दुआ कब तक कुबूल ?	५४
३०	हाजी की मुलाकात।	५५
३१	हज का तजकिरा हर एक से न करना।	५७
३२	ज़म ज़म पीने का तरीका।	५८
३३	आबे ज़मज़म में सादा (आम) पानी मिलाने का हुक्म।	६०
३४	हज मक़बूल होने की अलामत।	६२

पेशे ए लफ्ज़

अल्हमदुलिल्लाह मसाइल का सिलसिला "आज का सवाल " के उनवान से ८ आठ साल से जारी है इस में तेहवार,हालत और मव्के की मुनासिबत से भी मसाइल आते रहते है। और थोड़ा थोड़ा कर के एक ही मवजू पर बहोत से मसाइल को अल्लाह ने जमा करा दिया है। इसी तरह पैगाम व मसाईल के नाम से भी कुर्आन ए करीम की अक्सर आयतों की तफ़सीर लिखने का सिलसिला " सुरए फातिहा " से अल्लाह तआला ही की तौफीक से शुरुअ किया था , जो पोने तीन पारे तक, तकरीबन ३०० आयात तक अल्हम्दुलिल्लाह पोंहचा है, और उस के अलावा जो आयतें मवका महल के ऐतिबार से होती है, उस की तफ़सीर भी लिख दी गई है।

मावज़ूअ की तमाम आयतों को घेरना मक़सूद नहीं, उसे में से मसाईल की मुनसबत से आयत का इंतिख़ाब कर के किताब में

रख दी गई है, ताकी मसाईल के साथ साथ क़ुरान ए करीम की भी रहनुमाई हसिल हो।

बाज दोस्तों ने खाहिश की के इन मसाइल को पी.डी.एफ. की शकल में जमा कर के शोशयल मीडिया पर आम कर दिया जाए ताके लोगों का फायदा उठाना और फाइदा पहुंचाना आसान हो जाए । लिहाजा अल्लाह पर तवक्कुल कर के ये काम शुरू कर दिया गया है। अल्हम्दु लिल्लाह।

दुआ फरमाए अल्लाह तआला इस सिलसिले को दिन के हर मावजूअके एअतेबारसे मुकम्मल फरमाए। और बंदे और बंदे वालीदैन, असातीजाह, खुसूसन बंदे के पिरो मुर्शीद हजरत मुफ्ती अहमद खान पूरी दामत बरकातुहुम ये खिदमात उन की तवज्जुह और दुआ का नतीजा है।(अल्लाह उन के साए को हम पर और उम्मत पर आफियत के साथ ता देर काईम रखे) (आमीन सुम्मा आमीन)।

और तरजमे में तावून करने वाले मेरे दोस्तों के हक में सदह ए जारिया और नजात का जरिया बनाए। (आमीन सुम्मा आमीन)।

आगर किसी को ये रिसाला चपवाना हो, तो इस्तेमाल करें, और छपवाकर ना चीज की तरफ से " मुफ्त तकसीम करने " और " फारोख्त करने " की मुक्कम्मल इज्जत है।

अखीर में नाजीरीन से दरखास्त है के उस में कोई गलती मालुम हो या कोई मुफीद मशवरा तो बंदे मूततले करे जजाकल्लाह।

:: अहकर::

इमरान इस्माइल मेमन।

+९१ ९६८७३ ४१४१३

२० शव्वालुल मुकार्रम १४४४ हिजरी

११ मई – २०२३।

♦ हज किन लोगों पर फ़र्ज़ ?

🌷 क़ुरआन का पैग़ाम नं : १। 🌷

أَعوذُبِاللهِمِنَ الشَّيْطانِ الرَّجيم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ؕ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۹۷﴾

तरजमह

“ ओर लोगो में से जो लोग उस तक पहुँचने की ताक़त रखते हो उन पर अल्लाह के उस घर का हज करना फ़र्ज़ है, और अगर कोई इनकार करे तो अल्लाह दुनिया जहां के तमाम लोगो से बे-नियाज़ है ”।

तफ़्सीर

हज इस्लाम के ५ अहम् अरकान में से एक है, जिस के फ़र्ज़ होने पर उम्मत का ईज्मा'अ व इत्तिफ़ाक़ है ।

📗 अल-जामिऊ लील-अहककामिल-लिल-क़ुरान लिलकुरतबी: ४,१४२।

हज की अहमीयत का अंदाज़ह उस से किया जा सकता है के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया के जो शख़्स

क़ुदरत के बावजूद हज न करे, मुझे उससे गरज़ नहीं के वह यहूदी बन कर मरे या इसाइ।

📗 **शू'बुल ईमान-ली बयहकि, हदीस नंबर। ३९७९।**

हज की ताक़त से मुराद ये है के जिन लोगो की परवरिश किसी शख़्स के ज़िम्मे वाजिब है, सफरे हज के दौरान उन के नफके-खर्चे के अलावा सफर और सफर की हालत में पेश आने वाली ज़रुरियात के बक़दर पैसे उस के पास मौजूद हो मुक़ामाते हज तक पहुँचने में कोई यकीनी खतरा दरपेश न हो, सिहत मन्द हो, चलने फिरने से म'अज़ूर न हो, औरत के लिए ये भी ज़रूरी है के कोई महरम या शोहर साथ हो, या खुद औरत के अन्दर इतनी माली ताक़त हो के वह अपने अलावह अपने शोहर या महरम के सफर का खर्च भी बर्दाश्त कर सके।

📗 **हिदायह: किताब-उल-हज : ३०३।**

🔰 **सुरह इ आले ईमरान।** ⭕ **आयत – ९७।**

📗 **आसान तफ़्सीर से माखूज़।**

واللہ اعلم بالصواب

♦ मक़ामे इब्राहीम की खुसूसियत।

🌹 कुरआन का पैग़ाम नं : १। 🌹

أَعوذُبِاللهِمِنَ الشَّيْطانِ الرَّجيم

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

فِيۡهِ اٰيٰتٌ ۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبۡرٰهِيۡمَ ۚ وَمَنۡ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ؕ ﴿۹۷﴾

तरजमह

इसमे निशानिया है खुली खुली, जैसे मक़ाम इ इब्राहिम और जो इसके अन्दर आया उसको अमन मिला।

तफ़्सीर

इन निशानियों में से एक बड़ी निशानी मक़ामे इब्राहिम है। इस लिए कुर्आन करीम ने उस को मुस्तक़िल तौर पर अलाहिदह बयान फ़रमाया।

मक़ामे इब्राहिम वोह पत्थर है जिस पर खड़े होकर हज़रत इब्राहिम (अलैहिस्सलाम) बैतुल्लाह की त'अमीर फ़रमाते थे। और बा'ज रिवायात में है के पत्थर त'अमीर की बुलन्दी के साथ साथ

खुद-ब-खुद बुलंद हो जाता था, और निचे उतरने के वक़्त निचे हो जाता था (जैसे आज कल लिफ्ट होती है)।

उस पत्थर के ऊपर हज़रात इब्राहिम (अलैहिस्सलाम) के क़दम मुबारक का गहरा निशान आज तक मौजूद है। ज़ाहिर है के एक बेहिस व बे-शु'ऊर-बे जान पत्थर में ये इल्म के ज़रुरत के मुवाफ़िक़ बुलंद या पस्त-निचा हो जाए और ये तासीर के माँ की तरह नरम हो कर क़दमों का मुकम्मल नक़्शा अपने अन्दर ले ले। ये सब आयात क़ुदरत है जो बैतुल्लाह की है। आ'अला फ़ज़ीलत ही से मुता'अल्लिक़ है।

ये पत्थर बैतुल्लाह के नीचे दरवाज़े के क़रीब था। जब कुर्'आन का ये हुक्म नाज़िल हुवा के मक़ामे इब्राहिम पर नमाज़ पढो وَ اتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى ؕ उस वक़्त तवाफ़ करने वालों की मस्लिहत से उस को उठाकर बैतुल्लाह के सामने ज़रा फ़ासले से मताफ़-तवाफ़ करने की जगह से बाहर ज़मज़म के कुंवे के क़रीब रख दिया गया।(अब वह कुंवा अंडर ग्राउंड हो गया है) और आज कल मक़ामे इब्राहिम को एक बलौरी खोल के अन्दर

महफ़ूज़ कर दिया गया है। तवाफ़ की बाद की २ रकाते उसी मकाम के पीछे पढ़ी जाती है।

मक़ामे इब्राहिम असल में उस ख़ास पत्थर का नाम है, और तवाफ़ के बाद की दो रका'त उस के पीछे या उस के पास पढ़ना अफ़्ज़ल है, लेकिन मक़ामे इब्राहिम के लफ़्ज़ी मा'अना के एतबार से ये लफ़्ज़ तमाम मस्जिद-इ-हराम को शामिल है। इस लिए हज़राते फुक़हा ने फ़रमाया के मस्जिद-इ-हराम के अन्दर जिस जगह भी तवाफ़ की वाजिब दो रकात पढ़ ले वाजिब अदा हो जाएगा।

🔰 **सुर ए आले ईमरान।** ⭕ **आयत। ९८।**

📗 **तफ़्सीर इ मारीफुल कुरान से माखूज़।**

والله اعلم بالصواب

◆ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिन्दा मोजिजाह बैतुल्लाह की दुसरी ख़ुसूसिय्यात।

🌹 **क़ुरआन का पैग़ाम नं : १।** 🌹

أَعوذُبِاللهِمِنَ الشَّيْطانِ الرَّجيم

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

فِيۡهِ اٰيٰتٌ ۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبۡرٰهِيۡمَ ۚ وَمَنۡ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ؕ ﴿۹۷﴾

तरजमह

इसमे निशानिया है खुली खुली, जैसे मक़ाम इ इब्राहिम और जो इसके अन्दर आया उसको अमन मिला।

तफ़्सीर

एक अजीब निशानी ये हे के जमरात (हाजी जिस पर कंकर मारता है वह तीन बड़े पथ्थर) जिन पर एक हज करने वाला सात(७) सात(७)कंकरियां रोजाना, तीन(३) दिन तक फेंकता है और हर साल लाखों हुज्जाज वहां जमाअ होते हैं ये सारी कंकरियां अगर वहां जमाअ हो कर बाक़ी रहे तो एक ही साल में वह जमरात कंकरियों के ढेर में दब जाये और चंद साल में तो वहां एक पहाड़ बन जाए, हालाँकि मुशहदाह (आँखों से नज़र ये आता है) के हज के तीनो दिन गुज़रने के बाद वहां कंकरिओं का कोई बहुत बडा अम्बार जमाअ नहीं होता, कुछ कंकरियां फैली हुई नज़र आती हे जिसकी वजह हदीस में आप हज़रत(صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)ने ये बयान फ़रमाई के ये कंकरियां फ़रिश्ते उठा लेते हें और सिर्फ ऐसे

लोगों की कंकरियां बाक़ी रह जाती हें जिन का हज किसी वजह से क़ुबूल नहीं हुआ ।

और यही वजह हे की जमरात के पास से कंकरियां उठाकर रमी-(शैतान को कंकरी मारना) करने की मुमानियत की गयी हे, क्यूंकि वह गैर मक़बूल है

रसूल ए करीम् (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)के इस इर्शाद की तस्दीक़ हर देखने वाला आँखों से मुशाहेदा करता हे के जमरात के आस पास बहुत थोड़ी सी कंकरियां नज़र आती है, हालाँकि वहा से उठानेका या साफ़ करनेका न कोई इंतेज़ाम न हुकूमत की तरफ से होता हे न आवाम की तरफ से।

(अब मालूम हुवा के हुकूमत ने उठवानेका इंतेज़ाम किया है,-)मुहम्मद तक़ी उस्मानी। लेकिन तीन दिन गुज़रने के बाद । इतने वक़्त में भी ढेर लग सकता है लेकिन नहीं लगता।

इस वजह से शेख जलालुद्दीन सुयूती (रहमतुल्लाह अलैहि) ने ख़ासाइसे कुब्रा में फ़रमाया के रसूल करीम(صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)के बाज़ मो'आजिज़ात ऐसे भी हुए जो आप की वफ़ात के बाद भी मौजुद और बाक़ी है, और क़यामत तक बाक़ी रहेंगे, और हर शख़्स उन का मुशाहदा कर सकेगा, इन में से एक तो क़ुरान का

बेनज़ीर होना है । के सारी दुनिया इस की मिसाल लाने से आजिज़ है ।

ये क़ुरान का सैम्पल बना न सकना जैसे अहद इ नबवी में था वैसे ही आज भी मवजुद है और क़यामत तक रहेगा, हर ज़माने का मुस्लमान पूरी दुनिया को चेलैंज कर सकता हे के(इस जैसी एक सूरत बनाकर दिखाएओ) इस तरह जमरात के बारे में जो आँहज़रत (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) का इर्शाद है के , "इनपर (जमरात पर) फेंकी हुई कंकरियां ना मालूम तौर पर फरिश्ते उठा लेते हें सिर्फ उन बद नसीब लोगों की कंकरियां रह जाती हें जिन का हज क़बूल नहीं होता ।,

आप (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) के इस इर्शाद की तस्दीक़ हर ज़माने में होती रही हे और क़यामत तक होती रहेगी, ये रसूल इ करीम (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) का हमेशा बाक़ी रहने वाला मोजिज़ा और बैतुल्लाह से मुताल्लिक़ अल्लाह त'आला की एक बड़ी निशानी है।

🔰 **सुर ए आले ईमरान।** ⭕ **आयत। ९८।**

📗 **तफ़्सीर इ मारीफुल कुरान से माखूज़।**

واللہ اعلم بالصواب

♦ हज किस पर फ़र्ज़ ?

अस्सवाल

➢ हज किस पर फ़र्ज़ है ?

अलजवाब

حامدا و مصليا و مسلما

जीस के पास हज के लिए आने जाने का खर्च, और जिस का खर्चा उस के ज़िम्मे वाजिब है हज से वापसी तक उन का खर्च मव्जूद हो, तो उस पर हज फ़र्ज़ है।

अगर औरत है तो महरम भी मव्जूद हो तो हज फ़र्ज़ होगा।

📗 **नूरुल इज़ाह से माखूज़।**

नोट : हज कमेटी से जाने या सस्ती टूर में जाने का खर्च जिस के पास us ke जिम्मे वाजिब खर्चे के अलावह मावजूद हो भी हो तो हज फ़र्ज़ हो जायेगा।

والله اعلم بالصواب

♦ औरत के लिए हज का हुक्म।

अस्सवाल

➢ औरत को हज के सफर के बारे में क्या हुक्म है..?

➢ महरम किसे कहते है ?

अलजवाब

حامدا و مصليا و مسلما

औरत के लिए बगैर महरम के सफर करना शरअन जाइज़ नहीं है, इस लिए वो हज पर क़ादिर उस वक़्त समझी जाएगी जब के उसके साथ कोई महरम हज करने वाला हो. चाहे महरम अपने खर्च से हज कर रहा हो या यह औरत उसका खर्च बर्दाश्त करे, इसी तरह वहां पहुँचने के लिए रास्ता अमन वाला होना भी ताक़त का एक हिस्सा है, अगर रास्ता में बाद-अमनी, जान-माल का क़वी [पक्का] खतरा हो तो हज की ताक़त नहीं समझी जाएगी.

📗 **मारीफुल क़ुरान-२/१२२ से मअख़ूज़।**

महरम से मुराद वो शख्स है जिनके साथ निकाह हराम है, चाहे नसब की वजह से, या सुसराली या दूध के रिश्ते की वजह से, जैसे भाई-बहन, भांजा-भांजी, भतीजा-भतीजी, और उनकी औलाद, सास-ससुर, दामाद-बहु, ये सब महरम है।

नीज़ महरम का मुअतमद [भरोसे के क़ाबिल] आक़िल [अक़लमंद] बालिग़ और फ़ितने और शहवत का खतरा न होना भी शरत है।

📗 **फतवा रहीमियह, किताबुल फिकह, मुअल्लिमुल हुज्जाज।**

औरत के लिए खालु [मासा], फुफा, अपने शोहर के भतीजे और भांजे, अपने बहनोइ, देवर, जेठ, महरम नहीं है।

📗 **फ़तावा रहीमियह-८/३०७।**

📗 **आप के मसाइल ४/८४ से माखूज।**

واللہ اعلم بالصواب

♦ पैदल हज का हुक्म।

अस्सवाल

- क्या भारत से पैदल हज की ताक़त रखता हो तो उस पर हज फ़र्ज़ होगा ?
- इतनी दूर से पैदल हज करना चाहिए ?

अलजवाब

حامدا و مصلیا و مسلما

जीस के पास सवारी पर मक्का मुअज़्ज़मा तक पहुंचने और वापस आने का खर्च और जिस का खर्चा उस के ज़िम्मे वाजिब है हज से वापसी तक उन का खर्च मव्जूद हो तो उस पर हज फ़र्ज़ है।

जिस के पास इतनी रकम मव्जूद न हो के सवारी पर जा सके उस पर पैदल हज करना फ़र्ज़ नहीं,

क्यूं के कुरान में जहां अल्लाह ने हज की फर्जियत का जिक्र किया वहां इस्तेतात की कैद लगाई है।

📗 **सूरह आले इमरान आयत ९७।**

और इस इस्तेतात की तफसीर में सवारी वगेरह कुदरत है, जैसा के ऊपर गुजर चुका।

📗 **तफसीर इब्ने अब्बास।**

और इसमे मशक़्क़त और तकलीफ है, शरीअत ने हमें जानबूझ कर मशक़्क़त में पड़ने और मुश्किल काम करने से मना किया है,

लेकिन अगर कोई पैदल हज करे तो नाजाइज़ भी नहीं है, मगर उसके लिए ये शरत है के वह पैदल चलने की ताक़त भी रखता हो, ताके रस्ते की तकलीफ से दिल को तंगी और दुश्वारी न पेश आये।

और पैदल जाना सवाब और अल्लाह की रजा के लिए हो शोहरत और नामवरी मक़सूद न हो।

अपने इस हज को अखबारात और सोशल मीडिया के ज़रिये एड करना और शोहरत देना नाजाइज़ है, और खुद कौन से वक़्त कौन से इलाक़े में पहुंचेगा उस की मीडिया पर खबर देकर अपना इस्तिक़बाल चाहना, ईज़ज़त तलबी है, जिस से हज का सवाब बरबाद हो जाता है।

हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न पैदल हज किया न उस की तरग़ीब दी,

जहां तरगीब वारिद है वहां मक्का से मक्का तक हज करना मुराद है।

📗 **मुस्तद्रक लिल हाकिम की रिवायत से माखूज़।**

बल्कि एक औरत ने मन्नत मानी थी के में पैदल हज करुँगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में फ़रमाया उसको कहो के अल्लाह को तुम्हारे चलने की ज़रुरत नहीं है, लिहाज़ा सवारी पर हज पर जाये।

📗 **तिर्मिज़ी शरीफ़ ४/१११। रावी अनस बिन मालिक रज़ी.)**

📗 **मसाइले हज सफा ७२ बा हवाला किफ़ायतुल मुफ़्ती और दारुल इफ्ता जमीयतुल उलूमुल इस्लामिआ बिनोरिआ तआवुन से माखूज़।**

والله اعلم بالصواب

♦ पहले अवलाद की शादी या हज।

अस्सवाल

➢ हज मुक़द्दम है या बच्चों की शादी ?

अलजवाब

حامدا و مصلیا و مسلما

अगर किसी के पास इतना माल हो के, वो हज कर सकता हो, लेकिन वो हज न करे, बल्के वो रूपया अवलाद की शादी में लगादे,

बाद में मुफलिस [गरीब] हो जाये और तमाम उम्र मुफलिस रहे,

तो ऐसे शख्स पर शुरू में माल होने की वजह से हज फ़र्ज़ समझा जाएग,

बीला हज किये मर जाये तो फ़र्ज़ हज छोड़ने की वजह से गुनेहगार होगा।

आज कल रस्मो-रिवाज ने शादी के लिए जो पाबंदियाँ लाज़िम कर दी है, वो अक्सर ऐसी ही है जो के शर'अन लाज़िम-ज़रूरी नहीं, बल्के शर'अन नाजायज है।

अगर मस्नून तरीके से शादी की जाये तो हज मौक़ूफ़ या बाद में करने की ज़रूरत पेश न आए।

📗 **फतावा दारुल उलूम-४/५१८।**

📘 **फतावा महमूदियाः ३/१७८।**

واللہ اعلم بالصواب

♦ पहले मकान बनाये या हज करे ?

अस्सवाल

- मेरा मकान किराये का है, और मेने अपना जाती मकानल बनाने के लिए पैसे जमा किये है।
- तो इन पैसों की वजह से मुझ पर हज फ़र्ज़ है ?
- पहले अपना मकान बना लूँ फिर हज पढलूँ ?
- जब पैसा जमा हो तो हज करूँ ऐसा करने का क्या हुक्म है ?

अलजवाब

حامدا و مصلیا و مسلما

जब आप के पास हज के मुवाफ़िक़ पैसा मव्जूद है तो हज करना फ़र्ज़ और मुक़द्दम (उसे पहले अदा करना ज़रूरी) है। उस रक़म को मकान में खर्च करना जाइज़ नहिं।

📗 **फ़तवा दारुल उलूम देवबन्द से माखूज़।**

والله اعلم بالصواب

♦ मकान या ज़ाइद सामान बेच कर हज।

अस्सवाल

➢ क्या ज़ाइद अज़ ज़रुरत मकान या सामान बेच कर हज को जाना जाइज़ है ?

अलजवाब

حامدا و مصليا و مسلما

अगर किसी शख्स के मुत'अदद मकानात हो, या ऐसा सामान हो की उसे फिल-हाल ज़रुरत न हो, या ज़रुरत से ज़ाइद कार वग़ैरह हो, तो अगर इन की क़ीमत हज के इख़राजात को काफी हो सकती हो तो उन्हे बेच कर हज को जाना ज़रूरी है।

📗 **किताबुल मसाइल ३/८७। बा हवाला 📕 तातखानीयह ३/४७२।**

والله اعلم بالصواب

♦ वालिदैन को हज कराना।

अस्सवाल

➢ पहले खुद हज करे या वालिदैन को कराये..?

अलजवाब

حامدا ومصليا ومسلما

अवलाद के ज़िम्मे माँ बाप को हज कराना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर अल्लाह ताला ने अवलाद को माल दिया है तो हज करना बड़ी सआदत [खुशनसीबी] है,

📗 **आप के मसाइल ४/७२।**

واللہ اعلم بالصواب

♦ सऊदी अरब में मुलाजमत करने वालों का उमराह और हज।

अस्सवाल

➢ सऊदी अरब में मुलाजमत करने वालों का उमराह व हज का हुक्म क्या है?

अलजवाब

حامدو مصليا و مسلما

जो लोग मुलाजमत के सिलसिले में सऊदी अरब गए हो और हज के दिनों में बेतुल्लाह शरीफ पाहुंच सकते हो, उन पर हज फर्ज हे,

अगर इखलास के साथ हज और उमर के अरकान भी सही अदा करे तो इन शा अल्लाह उनको भी हज और उमर का इतना ही सवाब मिलेगा जितनाके अपने वतन से जाने वालो को।

📗 **आपके मसाईल और उनका हाल/जिल्द-४, साफा नंबर ३८।**

والله اعلم بالصواب

♦ क़र्ज़-दार के लिए हज का हुकम।

अस्सवाल

- क़र्ज़-दार का हज के लिए जाने का क्या हुक्म है ?
- क़र्ज़-दार का नफ्ली हज के लिए जाने का क्या हुक्म है ?
- तिजारती क़र्ज़ों का क्या एतबार है ?

अलजवाब

حامدا و مصليا و مسلما

१। अगर फिलहाल क़र्ज़ माँगने वालों का मुतालबा न हो, और वो बा-ख़ुशी हज के लिए जाने की इजाज़त दे, या क़र्ज़दार अपने क़र्ज़ का किसी को ज़िम्मेदार बना दे, और उस क़र्ज़ ख़्वाहों को इत्मीनान हो जाये और वो इजाज़त दे दे, तो वो शख्स हज के लिए जा सकता है,

उस शख्स पर जितना क़र्ज़ हो अहतियातन उसके बारे में वसिय्यत नामा लिख दे, और वारिसों को ताकीद कर दे के अगर मेरी मौत हो जाये और मेरे ज़िम्मे क़र्ज़ बाक़ी रह जाये तो मेरे तरका [वारसे] में से पहले क़र्ज़ अदा कर दिया जाए, अगर तरके में गुंज़ाइश न हो तो तुम अपने पास से क़र्ज़ अदा कर दे, या उसे मुआफ करा दे।

अगर क़र्ज़ ख़्वाह [क़र्ज़ देने वाले] की इजाज़त के बगैर जायेगा तो मकरूह होगा, अगर चे फ़रीज़ा अदा हो जाएगा।

अगर उसी वक़्त क़र्ज़ अदा करने की गुंज़ाइश हो तो उसी वक़्त क़र्ज़ अदा कर देना चहिये, उसकी बहुत ही ज़ियादा ऐहमिययत है।

इंतेज़ाम होते हुवे भी क़र्ज़ अदा न करना संगीन गुनाह है, (क़र्ज़ बाकी रख कर वहां लम्बी चौडी ख़रीदी करने की इजाज़त क़र्ज़ देने वाले ने नहीं दी होती है। उस की इजाज़त अलग लें)

हदीस शरीफ में है के : मालदार का तालमटोल [आनाकानी] करना ज़ुल्म है।

२। जो शख्स फ़र्ज़ हज अदा कर चूका हो और नफ्ली हज करने जाना हो तो नफ्ली हज से बेहतर ये है के क़र्ज़ा अदा करे, (इस बारे में भी कोताही हो रही है) और उसके बिल-मुक़ाबिल गरीबी की हालात में जब के बिल-ख़ुसूस दूसरे के हुक़ूक़ अपने ज़िम्मे हो, उनके हुक़ूक़ की अदायगी की एहमियत हज्जे नफ़्ल से कहीं ज़ियादा है।

📗 **फ़तावा रहीमियह ८/२८२।**

📗 **बा हवाला शामी २/२०५, दुर्रे मुख़्तार २/१९१।**

३। तिजारती क़र्ज़े जो आदतन हमेशा जारी रेह्ते है, इसमें दाखिल नहीं, ऐसे क़र्ज़ों की वजह से हज को मोअख़्ख़र [मुलतवी, कैंसिल] नहीं किया जाएगा।

📗 **अहकामुल हज सफा-२४, हज़रत मुफ़्ती शफी साहब रह.।**

والله اعلم بالصواب

♦ हज में जानेवाला वुसअत के बाद फ़क़ीर हो गया।

अस्सवाल

- मेरे पास इतने पैसे थे जिससे में हज कर सकता था, लेकिन सोचा फूलां फूलां काम निपटा लूँ, फिर हज करुँगा।
- लेकिन आज कोरोना के बाद ये हालत है के हज की अदायगी के पैसे अब मेरे पास नहीं है।
- तो क्या मुझसे हज मुआफ हो गया ?

अलजवाब

حامدا و مصليا و مسلما

पूछी हुई सुरत में हज का फ़रीज़ा माल बाक़ी न रहने की वजह से आप से मुआफ नहीं हुवा बल्कि बराबर फ़र्ज़ रहेगा।

📗 किताबुल मसाइल ३/९७। बा हवाले 📕 आलमगीरी २/२१८। 📘 तहतावी ३९६।

والله اعلم بالصواب

♦ हज्जे बदल में भेजना कब वाजिब ?

अस्सवाल

➢ मुझ पर हज फ़र्ज़ था तंदुरस्ती भी अच्छी थी लेकिन में टालता रहा के थोड़ी उम्र गुजरने दूँ फिर हज कर के ज़िन्दगी बदल लुँगा। लेकिन अब ऐसी बीमारी ने घेर लिया है के अब माज़ूर हो गया हूँ ।

➢ अब किया करूँ?

अलजवाब

حامدا و مصلیا و مسلما

आप के ज़िम्मे किसी को हज्जे बदल के लिए भेजना या हज्जे बदल की वसिय्यत करना लाज़िम और ज़रूरी है।

📗 **शामि ज़करिया ३/४५७।**

واللہ اعلم بالصواب

♦ हज्जे बदल की वसिय्यत।

अस्सवाल

➢ किस शख्स पर हज्जे बदल की वसिय्यत लाजिम है ?

अलजवाब

حامداومصليا ومسلما

जीस शख्स में दर्ज़ा ए ज़ैल शराइत पाये जाये उस पर हज्जे बदल की वसिय्यत करना लाजिम है।

१। वह शख्स मुस्लमान हो।

२। आकिल बालिग़ मुकल्लफ़ हो।

३। उस पर माली और जिस्मानी ऐतिबार से हज फ़र्ज़ हो चूका हो।

४। हज फ़र्ज़ होने के बाद वह खुद हज करने पर क़ादिर न हो, या तो इसलिए के अब उस के पास माल नहीं रहा या जिस्मानी सिहत ख़त्म हो चुकी है। (औरत हो तो उस को हज में ले जाने के लिए शोहर या महरम नहीं मिला)।

५। ये आजिज़ होना मौत तक रहा हो, चाहे ऐसा उज़्र हो जो ख़त्म हो सकता हो, जैसे क़ैद में होना,पागलपन, बड़ी बीमारी होना या ऐसा उज़्र जो मौत तक रहे, जैसा बुढापा या लाइलाज बीमारी।

📗 **किताबुल मसाइल ३/३६१।**

واللہ اعلم بالصواب

♦ हज में ताख़ीर।

अस्सवाल

➢ कया हज फ़र्ज़ हो जाने के बाद उसी साल जाना ज़रूरी है ?

➢ आइन्दह साल भी इत्मिनान से हज कर सकते है ?

अलजवाब

حامدا و مصليا و مسلما

शराइत पाये जाने के बाद पेहली फुरसत में हज की अदायगी वाजिब है।

अगर बिला उज़्र ताख़ीर-देर की तो गुनेहगार होगा, अगर ताख़ीर के बाद अदा कर लिया तो गुनाह साक़ित-दूर हो जाएगा।

बहरूर राईक २/३१०।

बा हवाला किताबुल मसाइल ३/७६।

واللہ اعلم بالصواب

♦ हज में जाने के लीये हक़ीक़ी तैय्यारी।

अस्सवाल

➢ हज में जाने वालों को हक़ीक़ी तैयारी कया करनी चाहिए ?

अलजवाब

حامدا و مصليا و مسلما

अगर आप पर हज फ़र्ज़ है और आपने हज पर जाने का ईरादा कर लिया है, तो इस नेअमते उज़्मा की क़द्रो क़ीमत को पहचानिये और अपने अंदर महसुस कीजिये, के अल्लाह तआला ने अपने मुक़द्दस घर और अपने महबूब ﷺ के मुक़द्दस शहर की हाज़री के मोवके की बात आप के दिल में डाली, और उसके अस्बाब भी आपको मुहैया फरमा दिए।

अब इस नेमते उज़्मा का शुक्रिया ये है के अपने आप को हरमैन शरीफ़ैन की रेहमतो बरकतो अनवारात और तजल्लियात के हुसूल के लिए अपने आपको हज के आमाल सीखने की तयारी में लगा दिया जाए।

इस लिए के बड़ा ही बदनसीब है वो शख्स जिसको उसका मवला बेहतरीन सफर नसीब करे और वो अपने आपको वहां की हाज़री के आदाब और तरीक़ा सीखने की और बनाने सँवारने की फ़िक्र न करे, और यूँही ग़फ़लत और बेसुउरी-ना साँझी के साथ वह जा पहोंचे।

इस लिए ज़रूरी है के हम दीन का इल्म सिख कर और अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर के और लोगो के हुक़ूक़ बाकी हो तो उसको अदा कर के या मुआफी करा कर पाक साफ़ हो कर अल्लाह तआला के आली दरबार में पहोंचे।

अल्हम्दुलिल्लाह हर शहर में और हर जगह हज के आदाब और अरकान सीखाने की फ़िक्र होती है, कैंप-जोड़ भी होते है, और मसजिदों में भी हज के आदाब सिखाये जाते है।

आप अपना क़ीमती वक़्त निकाल कर मस्तुरात को मस्तुरात के लिए जहा अरकान सीखाये जाते हो भेजे, और खुद भी पाबन्दी से जुड़े और हज के मव्जूआ पर मोअतबर किताबैं भी खरीदकर पढना शुरू कर दे।

ओर आप साथी भी फ़िक्र करले के जो हज़रात हज पर जा रहे है उन्हें तरग़ीब देकर हज के अरकानो अहकाम सिखने की, हो सकता है आप की मेहनत से कई लोगो का हज सहीह हो जाये और आप जरिया बन जाए।

📗 **माखूज़ हज सुन्नत के मुताबिक़।**

والله اعلم بالصواب

♦ हाजियों का दावत करना और उन को दावत खिलाना।

अस्सवाल

➢ हाजयों का हज से जाने से पहले दावत करना या उन को दावत खिलाना कैसा है ? हमारे इलाके में उस को ज़रूरी समजा जाता है और उस में तमाम रिश्तेदार और दोस्तों की दावत की जाती है। लोग अपने पर हज फ़र्ज़ होने में इन ख़र्चों को भी शुमार करते है तो ऐसी दावत करना या उस में शरीक होना कैसा है?

अलजवाब

حامدا و مصليا و مسلما

हज से जाने से पहले नफ़्से दावत करने में कोई हरज नहीं। शरीअत के किसी हुक्म की खिलाफ वर्ज़ी की नौबत न आये तो जाइज़ है।

लेकिन आज कल हाजी के दावत करने में या उन को दावत खिलाने में जो खराबियां पैदा हो गई है उस की वजह से ये ये दावत करना या खिलाने का तरीकाः क़ाबिले तर्क-छोड़ देने के क़ाबिल है।

कयूं के दावत को ज़रूरी समझना हुज़ूर सलल्लाहु अलय्हि वसल्लम, सहाबा ए किराम रदियल्लाहु अन्हु, अयिम्माह ए मुजतहिदीन, सलफे सलिहीन से साबित नहीं। इस में हाजी बा काइदह अपने हज का ऐलान करता है, तस्वीर खिंचवाता है, नारे लगवाता है, इस दावत के ज़रिये रियाकारी और फ़ख्र गरूर में मुब्तला होता है।

हज के नाम पर मरदों औरतों का मिलाप और बेपर्दगी होती है। जाने से पहले कपडे, लिफ़ाफ़े वगैरह तोहफा देना और वापसी पर उस का एवज़ तमाम देनेवाले को लौटाना ज़रूरी समझ जाता है। इन ख़र्चों को भी हज फ़र्ज़ होने के खर्चे में शामिल समझा जाता है। इन ख़र्चों को पूरा करने के लिए बाज़ लोग सुदी क़र्ज़ तक ले लेते है।

लिहाज़ा ऐसी रस्मी दावत करने और खाने और खिलाने से परहेज़ करना चहिये।

📗 **फतवा कास्मियाह जिल्द १२ सफा १७६ से १७९ का खुलासाह।**

واللہ اعلم بالصواب

♦ हाजियों को तोहफा हदिया देना और वसूल करना।

अस्सवाल

➢ जब हाजी हज करके आते हैं, तो तबर्रुक या हादिये के नाम से एक रस्म अदा करते हैं, जिस्मे वो खजूरें, ज़मज़म, और उनके साथ दुसरी चीजें तस्बीह, मुसल्ला, थाल, बर्तन वागेरह रस्म के तोर पर तकसीम करतें हैं, ये कैसा है?

अलजवाब

حامدو مصليا و مسلما

दोस्त रिश्तेदारों को तोहफे देने का शरियत में हुक्म है, इसे मोहब्बत बढ़ती है, मगर दिली रागबत और मोहब्बत के बगैर सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए, या रस्म की अदागी और दिखाने के लिए, कोई काम करना बुरी बात है, हजियों को तोहफे देना और उनसे वसूल करना आज कल एक ऐसा रिवाज हो गया है, के महज नाम और शर्म की वजह से ये काम, दिल चाहे ना चाहे किया जाता है, ये शरअन छोड़ने के लायक है।

والله اعلم بالصواب

♦ हज पर जाने वालेको मुतल्लिकीन (रिश्तेदार, दोस्त – अहबाब से) से मिलकर जाना चाहिए।

अस्सवाल

- हज पर जो जा रहा हो, उस को हम मिलने जाए?
- या वो हम को मिलकर जाएं?
- क्यूं के हदीस में आया है के हाजी हज कर के आए हैं, तो उन की मुलाकात करो, तो क्या हाजी की मुलाकात उसके आते वक्त और जाते वक्त दोनो वक्त हमें करनी है?

अलजवाब

حامدا و مصليا و مسلما

चलते वक्त मकामी रिश्तेदारों और दोस्तों से मुलाकात कर के और उनको अलविदा कहे, और उन से अपने लिए दुआ की दरखवास्त करे, उनकी दुआएं भी उसके हक में खैर का सबब होगी।

नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व सल्लम का पाक इरशाद है : की जब कोई आदमी तुम में से सफर करे तो अपने भाईयों को सलाम कर के जाए, उनकी दुआएं उनकी दुआ के

साथ मिलकर खैर में झीयादती का सबब होगी, अलविदा कहते वक्त मसनून ये ही की यूं कहे :

أَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكُمْ وَاَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيْمَ اَعْمَالِكُمْ

अस्तवदी-उ-ललाह दिन-कुम व अमा-न-त-कुम व ख्वातीम अमालिकुम।

📕 **फजेल हज साफा ७११।**

बुर्जुगों का मामूल रहा है, के वो हाजी को रुखसत करने के लिए चंद कदम साथ चलते थे, और उन का इस्तिकबाल भी करते थे।

📗 **फजेल हज साफा ६६१।**

واللهاعلم بالصواب

♦ हज का मुख़्तसर तरीका।

<u>अस्सवाल</u>

- ➢ अय्याम ए हज कोन से है ? अय्याम ए हज में क्या क्या काम करने होते हैं ?
- ➢ तफ्सील से बताने की गुज़ारिश।

अलजवाब

حامدا و مصليا و مسلما

८,९,१०,११ और १२ ज़िल्हज्ज ये पाँच दीन अय्याम ए हज हैं।

हज का पहला दिन ८ ज़िल्हज्ज है। इस रोज़ अपनी क़ियाम गाह ही से हाजी गुसल कर के अहराम बांध लेंगे. अहराम की नफल पढ़ें और हज की निय्यत से तल्बियह पढ़ते हुवे मीना की 22 से तल्बियह पढ़ते रहे. रात मीना ही में क़याम करना रवाना हो जायेंगे. और मीना पुहंच कर ज़ुहर असरddddr मग़रिब और ईशा की नमाज़ें अपने खेमे ही में बा जमा'त अदा करें, कसरत से तल्बियह पढ़ते रहे. रात मीना ही में क़याम करना सुन्नत है।

हज का दूसरा दिन ९ ज़िल्हज्ज है। इस रोज़ फजर की नमाज़ मीना में पढ़ कर जिस वक़्त भी मोअल्लिम ले जाये मैदान ए अराफात को रवानगी होगी. ज़वाल के बाद वुक़ूफ़ ए अराफात का वक़्त शुरू होगा. इस वक़्त खूब रो रो कर अपने गुनाहों से तौबह की जाये. हनफ़ी हाजी ज़ुहर और असर की नमाज़ अपने अपने खेमों में उस के वक़्त में अदा कर ले, और अपना वक़्त अल्लाह

ता'अला को याद करते हुवे और अपने अज़ीज़ अक़ारिब और अपने वतन ए अज़ीज़ की सलामती के लिए ज़ियादह से ज़ियादह दुआएं करते हुवे गुज़ारे. ग़ुरूब आफ़ताब के बाद मग़रिब की नमाज़ पढ़े बग़ैर मुज्दलिफा को रवाना हो जाये. मुज्दलिफा पहुंच कर मग़रिब और ईशा की नमाज़ ईशा के वक़्त में अदा की जाये. एक अज़ान और एक इक़ामत के साथ रात मुज्दलिफा ही में गुज़ारे. मुज्दलिफा जाते हुवे वादी ए मुहासार जहां अब्रहा का हाथियों का लश्कर तबाह हुवा था) के पास से गुज़रते वक़्त तेज़ी से इस्तग़फ़ार पढ़ते हुवे गुज़र जाये।

हज का तीसरा दिन १० ज़िल हज है। मुज्दलिफा में वुक़ूफ़ के बाद जिस का वाजिब वक़्त सुबह सादिक़ के बाद से तलुए आफताब से पहले तक का होता है, फजर की नमाज़ अदा कर के मीना रवाना हो जाये, तलुए आफताब के बाद से सुबह सादिक से पहले पहले सिर्फ जमराह ए अक़बह (बड़े शैतान) को कंकरियां मारे. कंकरियां रात को मुज्दलिफा ही से उठा ले. बड़े शैतान को सात (७) कंकरियां एक एक कर के मारनी है. जमारात को कंकरियां मारने को रमी कहा जाता है. रमी ए जमरात के बाद

क़ुरबानी की जाये. क़ुरबानी करने के लिए बेहतर यह है के सऊदी हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम मुअतमाद आदमी को क़ुरबानी की रक़म जमा करवादी जाये. जो आप के रमी करने के बाद फोन पर इत्तेला पा कर क़ुरबानी करके आप को क़ुरबानी हो जाने की इत्तेला दे, क़ुरबानी करने के बाद सर के बाल मुंडवाए या कटवा ले अल्बत्ताह औरतें अपने सर की चोटी के तमाम बालों को मिलकर बाल को एक ऊँगली की पोर के बराबर खुद काट ले या अपने मेहरम से कटवा लें।

अब अहराम की पाबंदियां ख़तम हो जाएगी, सिर्फ बीवी हलाल न होगी, जब तक तवाफ़ ए ज़ियारत न कर लें, नहा-धो कर अपना आम लिबास पहन लिया जाये. इस के बाद अगर हिम्मत और ताक़त हो तो इसी रोज़ वरना ११ १२ ज़िल हज को तवाफ़ ए ज़ियारत के लिए मक्का मुकर्रम चले जाएँ. ज़ियादह बेहतर यह रहता है के ११ ज़िल हज को सुबह सुबह तवाफ़ ज़ियारत के लिए मक्का मुकर्रम चले जाये और वहाँ से वापसी में ज़वाल के बाद तीनो जमारात (तीनो शैतानो को सात सात (७-७) कंकरियां मारते हुवे अपने खेमों में चले जाएँ. तवाफ़ ए ज़ियारत १० ज़िल्हज्ज से ले कर

१२ ज़िल्हज्ज तक गुरूब आफ़ताब से पहले पहले तक किया जा सकता है।

तवाफ़ ए ज़ियारत के बाद सई भी करनी होगी. १० ज़िल हज का दिन गुज़रने के बाद रात मीना ही में क़याम करना होगा।

हज का चौथा दिन ११ ज़िल्हज्ज है। मीना में ज़वाल से लेकर गुरूबे आफ़ताब तक बल्कि औरतों और बूढ़ो को और बहोत ही भीड़ में सब को सुबह सादिक तक जमराह ए उला (छोटा शैतान) फिर जमराह ए वुसताह (दरमियाना शैतान) फिर जमराह अक़बह (बड़ा शैतान) को ७ ७ कंकरियां एक एक करके मारनी है, रात को मीना ही में क़याम करना होगा।

हज का पांचवां दिन १२ ज़िल्हज्ज है। मीना में ज़वाल के बाद से गुरुबे आफ़ताब तक अफ़ज़ल, और सुबह सादिक तक जाइज़ वक़्त में तीनो जमारात को तरतीब वार एक एक कर के सात कंकरियां मारनी है और सुबह सादिक़ से पहले पहले मीना की हदूद (बॉर्डर) से बाहिर निकल जाना है. वरना फिर मीना ही में ठहरना (क़याम करना) होगा और १३ ज़िल्हज्ज को भी रमी ए जमारात करनी होगी।

अय्याम ए हज में अगर किसी *औरत को माहवारी एमसी अय्याम शुरू हो जाएं तो वह हज के तमाम अफआल बजा लावे, सिवाए तवाफ़े ज़ियारत के, पाक होने के बाद वह तवाफ़ और सई करे. मजबुरी में ताख़ीर की वजह से औरत पर कोई कफ़्फ़ाराह नहीं होगा. रमी मर्द और औरत को खुद करना होगी, वतन रवानगी से पहले तवाफ़ ए वदा करना भी ज़रूरी है.

📗 **अनवारे मनासिक मुअल्लिमुल हुज्जाज। किताबुल मसाइल में से खुलासा।**

ये मेसेज आप के कोई ताल्लुक़ वाला हज को गया हो तो उसे ज़रूर भेजें, हो सकता है के इसे पढ़कर उस को हज में सहूलत हो जाये।

واللہ اعلم بالصواب

♦ हज से पहले उमराह करना।

अस्सवाल

➢ इस्तेआत-ताक़त के बावजूद हज से पहले उमराह करना कैसा है?

अलजवाब

حامدا و مصليا و مسلما

उमराह हज का बदल नहीं हे, जिस शख्स पर हज फ़र्ज़ हो उसके लिए ज़रूरी है के वो हज करे,

जीस शख्स को हज के दिनों में बैतुल्लाह तक पहुँचने और हज तक वहां रहने की ताक़त (खर्च्, इंतिज़ाम, इज़ाज़त) हो उस पर हज फ़र्ज़ हो जाता हे, इसलिए ऐसे शख्स को जो सिर्फ एक बार बैतुल्लाह शरीफ पहुँचने की तमन्ना रखता हो, हज पर जाना चहिये, उमराह के लिए सफर करना और फ़र्ज़ियत के बावजूद हज न करना बहुत गलत बात हे।

📗 **आपके मसाइल और उनका हल, जिल्द- ४, सफा ३८।**

والله اعلم بالصواب

♦ हाजी की चांद गलतियों की तरफ इशारा।

अस्सवाल

➢ जिन्को अक्सर हज पर और उमर पर जाने वाले कर देते ऐसी गलतियां जिन्हने वो गलती नहीं समझते।

अलजवाब

حامدا و مصليا و مسلما

१. अपने रास्ते के मिकात से बगैर एहराम के गुजर जाना, जो शाख एसा करे उस पर लाजिम है, के वो दोबारा मिकात से आकार अहराम आ कर फिरसे एहराम बांधे, अगर ऐसा न कर सके तो दम अदा करे।

२. तवाफ करते हुए असानी या जल्दी की बिना पर हजरे इस्माइल (हतीम) के अंदर से गुजारना, जो के काबा का ही हिस्सा है, इस सूरत में तवाफ बातिल हो जाता है।

३. हजरे अस्वद पर चेहरा या सर का कोई हिस्सा बरकत के लिए रगदना, जबकी इसे सिर्फ हाथ से छूना या बोसा देना ही सुन्नत है।

४. काबा शरीफ के चारो कोनो को छूना, दीवारो को चूमना, अपना जिस्म रगदना, जबकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिवाये रुकने यमानी या हजरे असवद के, किसी और जगह को नहीं छूआ।

५. तवाफ करने वालों का बुलंद आवाज से जिक्र या दुआ करना, जो के लोगो के लिए ताकत का बैस बनता है।

६. तवाफ के बाद मकामे इब्राहिम पर ही लोगो का कसरत के बवजूद २ रकात अदा करना, जबकी इस सूरत में २ रकात मस्जिदे हराम के किसी भी जगह अदा करना दुरुस्त है।

७. सई के आगाज (शुरूआत) में या फिर हर चक्कर के ईख्तीताम पर बाज लोगो का साफा मारवा पर चडकर काबा शरीफ की तरफ मुंह करके दोनो हाथो से तकबीर कहते हुए इस तरह इशारा करना जैसे वो नमाज में तकबीरे तहरीमा के वक्त दो नो हाथ उठाते हैं, जबकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ हाथो को उठाकर किबला रुख दुआ की है।

८. बाज हजियो का मैदान अराफात से बहार किसी जगह ठहरना या सारा दिन गुजार कर इसी जगह से मुजदलफा का रूख करना, इससे उनका हज गया हो जाता है, क्योंकि अराफात हज का रुकन है।

९. बाज लोगो का काबातुल्ला के जबले रहमत की तरफ मुंह करके दुआ मांगना, जबकी सुन्नत तारिका किबला रुख होकर दुआ मांगना है।

१०. बाज लोगो का अरफा का रोजा रखना, जो के सरासर खिलाफे सुन्नत है।

११. बाज लोगो का एक ही मुट्ठी में ७ कांकरिया लेकर एक बार ही फेकना, उलमा ने इस सूरत में इस्तेमाल सिर्फ एक कांकरी ही शूमर किया है।

१२. बाज लोगोका, और खास तोर पर औरतोंका, लोगो की भीड़ के खोफसे दुसरोसे कांकरिया मारवाना, जबकी ये रुखसत सिर्फ किसी बीमार या ताकत ना रखने वालों के लिए है।

१३. बाज लोगो का तवाफे विदा के बाद मस्जिद हराम से उलटे पाव काबा की तरफ रुख करते हुए इस गुमान से निकला के ये बैतुल्लाह की तज़ीम है, इसकी शरीयत में कोई दलेल नहीं।

१४. इसी तरह मस्जिदे हराम के बेरूनी (बाहरके) दरवाजा पर बेथ कर मुसलसल दुआ करना, या ये ख्याल करना के वो बैतुल्लाह को विदा कर रहे हैं, इसका कोई शरई सबूत नहीं, जबकी सवाब की नियत से, किए जाने वाले, किसी भी अमल के लिए, शरई दलेल जरूरी है।

१५. बाज जायरीन मक्का मुकर्रम के क़याम के दौरन मुख्तलिफ़ मक़मात की जियारत का अहतमम करते हैं, और मस्जिदे हराम की एक लाख नमाज़ों की अज़रो सवाब रखने वाली नमाज़ को छोड़ देते हैं, या क़ज़ा करके अदा करते हैं।

१६. बाज मकामत जेसे गारे सोर, गारे हीरा, जबल सोर, जबले हीरा, जबले रहमत तक मशक्कत झेल कर जाना, वहा बेथकर लंबी इबादते करना, चिल्ले काटना वगेराह, ये सब काम गैर मशरूआ है।

१७. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र मुबारक की जियारत के वक़्त रोज़ा-ए-अक़दस का तवाफ़ करना, उसका दिवारो या लोहे की जलियो को हाथ फेरना, मुंह, चेहरा, जिस्म रागदना, ऐसे ही खिड्कियो, जालीयो पर धागे बांधना, गैर शरई अमाल है, जबकी शरई तरीके ये ही के दरूद सलाम पड़ा जाए या किबला रुख होकर दुआ किया जाए।

१८. जन्नतुल बकी या शुहदा ए उहद की कब्रो की जियारत करते वक्त उनकी तरफ पैसा पतकना करना, लिखे हुवे खत फेकना, मुरादे मांगना, खिलफे सुन्नत है।

१९. मस्जिदे नबवी की जियारत के बाद उलटे पाव वापस आना सुन्नत से साबित नहीं।

📗 **हज और उमराह [गाइड बुक], साफा नंबर-८०।**

والله اعلم بالصواب

♦ हाजी कितनी क़ुरबानी करे ?

अस्सवाल

➢ जो लोग हज में जाते है उन पर बक़रईद वाली मालदारी की क़ुरबानी वाजिब हे या नहीं.. ??

अलजवाब

حامداو مصليا و مسلما

बकरा ईद वाली क़ुरबानी मालदार मुसाफिर पर वाजिब नहीं होती बल्कि अपने घर पर हो या कही १५ दिन या उस से ज़्यादा ठहरे तो क़ुरबानी वाजिब होगी, हाजी हज के दिनों को मिलकर १५ दिन मक्का में ठहरने वाला हे तो अगर वो मालदार हे तो उस पर बक़रईद वाली क़ुरबानी वाजिब होगी चाहे वहां करे चाहे अपने घर पर करवा ले, (हज की क़ुरबानी अलग हे उस का मसला अलग हे.) (जो हज़रात हज्जे तमत्तु या किरान करते है उन पर हज की क़ुरबानी तो वाजिब है ही और अगर वो मालदार और मुक़ीम है तो उन पर बक़रईद की क़ुरबानी भी वाजिब होगी) और अगर १५ दिन नहीं ठहरना तो वो मुसाफिर होगा उस पर बक़रईद वाली क़ुरबानी वाजिब नहीं.

नोट : जदीद ज़माने के ऐतेबार से अक्सर मुफ्तियाने किराम की राय के मुताबिक़ मीना मुज़दलफा अब मक्का के हुदूद में दाखिल हैं, लिहाज़ा उन दिनों को मिलकर १५ दिन हो जायेंगे तो वो मुक़ीम कहलायेगा और मालदारी की क़ुरबानी वाजिब होगी.

📗 **किताबुल मसाइल, महमूदुल फतावा, फ़िक़्ही सेमिनार का फैसला भी इसी पर हे।**

واللہ اعلم بالصواب

♦ हज के लिए जमा की हुई रक़म पर ज़कात।

अस्सवाल

- मेने इस साल हज में जाने के लिए ७ लाख रुपये जमा किये है और अभी रमजान में रक़म पर साल पूरा हो रहा है तो क्या उस पर भी ज़कात वाजिब है ?
- मेने हज टूर में इस साल एडवांस ३ लाख रुपये भर दिए है तो क्या उस पर भी ज़कात वाजिब होगी ?
- ज़कात वाजिब होने, न होने की वजह भी बता दो तो आप के एहसान होगा।

अलजवाब

حامدا و مصليا و مسلما

आप के सात लाख पर आप की मिलकियत और क़ब्ज़े में साल पूरा हो गया है इसलिए ज़कात उस पर वाजिब होगी अगरचे वह पैसे आप ने हज में जाने की निय्यत से रखे है।

आप ने हज टूर वाले से हज में जाने मुआमला कर के ३ लाख रूपये अदा कर दिए वह पैसे आप की मिलकियत में तो है लेकिन क़ब्ज़े में नहीं रहे इसलिए उस पर ज़कात वाजिब नहीं. ज़कात वाजिब होने के लिए मिलके ताम यानि मुकम्मल मालिक होना के रक़म का मालिक भी हो और क़ब्ज़ा भी हो तो ज़कात वाजिब होगी।

📗 **किताबुल मसाइल २ /२५२। और**

📙 **फतावा कास्मियाह १०/३०४ से माखूज़।**

والله اعلم بالصواب

♦ हज करने के बाद हाजी कहेलवाना और नाम के साथ हाजी लिखना।

अस्सवाल

- हज की सआदत हासिल करने के बाद अपने नाम में लफ्ज हाजी लगाना क्या जाईज है?
- कुराने करीम और हदीस की रोशनी में बताइये के में भी अपने नाम में हाजी लगाउ या ना लगाउ, बेहतर क्या है?

अलजवाब

حامدا و مصليا و مسلما

अपने नाम के साथ हाजी लफ्ज लगाना भी रियाकारी के सिवा और कुछ नहीं, हज तो रजा ए इलाही के लिए किया जाता है, दुसरे लोग अगर हाजी साहिब कहे तो कोई मुजाइका [हरज] नहीं। लेकिन खुद अपने नाम के साथ हाजी का लफ्ज लिखना बिल्कुल गलत है।

واللہ اعلم بالصواب

♦ हाजियों का इस्तेकबाल करना इसी तरह फूल-हार और नारों से हाजी की मुलाक़ात करना।

अस्सवाल

- हज करके आने वाले हाजियों के रिश्तेदार दोस्त, एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पर बड़ी ता'दाद में लेने जाते है, हाजी के बाहर आते ही उसे फूलों से लाद देते है, उनसे गले मिलते है, हाजी साहिब भी हार पहने हुवे एक सजी सजाई गाडी में दूल्हे की तरह बेठ जाते है, गलियों और मोहल्लों और घर को भी खूब सजाया जाता है, जगह जगह हज मुबारक के तख्ते लगाए जाते है, बाज़ लोग तो मुख्तलिफ नारे भी लगाते है.
- मालुम ये करना है के इन सब बातों की शरई हैसियत क्या है ?
- क्या इस तरह इखलास बरक़रार रहेगा ?

अलजवाब

حامدا و مصليا و مسلما

हजियों का इस्तेकबाल अच्छी बात है, लेकिन ये फूल, नारे, वगेरह हुदूद [शरियत की हद] से ताजवुज [आगे बढ़ना] है, अगर

हाजी साहिब को दिल में उजब [अपने को अच्छा या कुछ समझ] पैदा हो जाए, तो हज जाए'ए [बारबाद] हो जाएगा, इस लिए इन चिजोन से एहतराज करना [बचना] चाहिए।

📗 **आप के मसल और उनका हल जिल्द-४, साफा १६१।**

والله اعلم بالصواب

♦ हज़ के बाद हाजी की दुआ कब तक कुबूल ?

अस्सवाल

➢ हाजी से दुआ करवाने की क्या फ़ज़ीलत है और हाजी की दुआ कब तक क़ुबूल होती है ?

अलजवाब

حامدا و مصليا و مسلما

एक हदीस में आया है के मुजाहिद और हाजी अल्लाह का वफ्द जमा'त है, जो मांगते हैं वह उनको मिलता है, जो दुआ करते हैं क़बूल होती है.

हज़रत उमर रदी. की रिवायत में है के हाजी की दुआ ज़िल्हज्ज के अय्याम और मुहर्रम व सफर और रबीउल अव्वल क १० दिन तक क़ुबूल होती है.

📗 मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबाह।

एक रिवायत में है के हाजी की दुआ २० रबी उल अव्वल तक क़ुबूल होती है।

📗 फ़ज़ाइल ए हज।

एक रिवायत में है क हाजी की दुआ मक्काः मुअज़्ज़मह में दाखिल होने से घर वापसी तक क़ुबूल होती है. और क़ुबूलियत के मज़ीद ४० दिन अता होते हैं।

📗 किताब उल मसाइल जिल्द ३।

पुराने बुज़ुर्गो का माअमूल था के वह हाजियों को रुखसत करने भी जाते थे और उन का इस्तिक़बाल भी करते थे और उन से दुआ की दरखास्त करते थे।

واللہ اعلم بالصواب

♦ हाजी की मुलाकात।

<u>अस्सवाल</u>

➢ हाजी की मुलाकात कैसे करे ?

<u>अलजवाब</u>

حامدا و مصليا و مسلما

हुजूर अकदास ﷺ का इरशाद है के जब किसी हाजी से मुलाकात हो तो उसको सलाम करो, और उससे मुसाफहा करो, और इससे पहले के वो अपने घर में दखिल हो अपने लिए दुआ ए मगफिरत की उससे दरख्वास्त करो, के वो अपने गुनाहों से पाक साफ होकर आया है।

📗 **मुसनदे अहमद, मिश्कत।**

मुजाहिद और हाजी अल्लाह का वफद [जमात] है, जो मांगते हैं वो उनको मिलता है, जो दुआ करते हैं कुबुल होती है, हाजी की भी अल्लाह के यहां मगफिरत है और हाजी २० रबीउल अवल तक जिसके लिए दुआ ए मगफिरत करे, उसकी भी मगफिरत है। सलफ [अगले बुज़ुर्गों] का मामूल था के वो हुज्जाज की मुशायअत [हज़ियों को छोड़ने और लेने जाना] भी करते थे, और उनका इस्तकबाल भी करते थे, और उनसे दुआ की दरख्वास्त करते थे।

📗 **इत्तिहाफ, फ़ज़ाइल हज।**

والله اعلم بالصواب

♦ हज का तजकिरा हर एक से न करना।

अस्सवाल

➢ हजरत मुफ्ती साहब, मैं इस साल हज कर के आया हूं, तो क्या में मेरे मिलने वालों से ये कह सकता हूं मैं हज कर के आया?

अलजवाब

حامدو مصليا و مسلما

हज का तजकिराह हर एक शाख से न करना चाहिए, क्यों के तजकिराह में खौफ है रिया और फख्र पैदा होने का, रिया और फख्र की नियत से तजकिरा करना तो बुरा है ही, लेकिन मुहक़्क़ीन सूफिया तो बाज अजीब अवकात ऐसे तजकिरों को भी मना करते हैं जो बज़ाहीर ताअत मलुम होते हैं, मसलन वहाँ के महासिन [अच्छे मंज़र] और फ़जाईल बयान करना जिससे वहाँ जाने का शौक और रागबत पैदा हो।

तज़किरा सुनने वाले ३ किस्मत के लोग हैं।

एक वो लोग हैं जिन पर हज फ़र्ज़ है, उनके सामने तो तारगीबे मज़मीन बयान करना जाईज़ बलकी मुस्तहब है।

दुसरे वो लोग जिन पर हज फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन उनके हज की ताकत और गुंजाईश है, और उनको हज करने जाना मना भी नहीं है, उनके सामने भी बयान करना जाईज़ है।

तीसरे वोह लोग, जिन पर हज फ़र्ज़ नहीं है, उनको हज के लिए जाना मना है, ये वो लोग हैं जिन्की माली ताकत नहीं है, और मशक़्क़त पर सब्र और बर्दश्त की भी कुदरत नहीं है, ऐसे लोगों के सामने ऐसे वाकीआत और मज़ामीन बयान करना जिनसे उनको हज का शौक पैदा हो जायज नहीं, क्यों के इससे उनको हज का शौक पैदा होगा और उनके पास सामान है ही नहीं, ना जाहिर, ना बातीन, तो ख्वामखा पारशानी में मुबतला होंगे, इन जैसे नाजाईज़ कामो में पद जाने का अंदाज है।

والله اعلم بالصواب

♦ ज़म ज़म पीने का तरीका।

अस्सवाल

- ज़म ज़म खड़े हो कर पीना चाहिए या बैठ कर ?
- बहोत से हज़रात खड़े होकर पीने को सुन्नत कहते हैं सहीह तरीका क्या है?

अलजवाब

حامدا و مصليا و مسلما

हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी. फ़रमाते हैं के मेने नबी अलैहिस्सलाम को ज़मज़म का पानी पिलाया तो आपने खड़े होकर वह पिया।

📗 सहीह बुखारी किताबुल आशरीबाह।

इस हदीस की वजह से ब'आज़ उलमा का ख़याल यह है के ज़मज़म का पानी बैठ कर पीने के बजाये खड़े हो कर पीना बेहतर है।

ईसी वजह से मश्हूर है के दो पानी ऐसे हैं जो खड़े हो कर पीने चाहये।

१। वुज़ू का बचा हुआ पानी। ओर

२। ज़मज़म का पानी

लेकिन दूसरे उलमा यह फ़रमाते हैं के यह पानी भी बैठ कर ही पीना बेहतर है।

ओर जहां तक हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी. की हदीस का ताल्लुक है तो उसमें खड़े हो कर पीने की वजह यह थी के एक तरफ तो कुवा दुसरी तरफ लोगो का हुजूम (भीड़) और फिर कुवे की चारो तरफ कीचड और बैठने की जगह भी नहीं थी।

इस लीये आप ने खड़े होकर कर पी लिया लिहाज़ा खड़े होकर पीना जायज़ है।

इससे यह लाजिम नहीं आता के खड़े होकर कर पीना अफ़ज़ल है।

📗 **मअख़ूज़ अज़ इस्लाही ख़ुत्बात ५/२३७।**

ब'आज़ लोग टोपी उतारकर क़िबलाह की तरफ रुख कर के पिते हैं के हुज़ूर सलल्लाहु अलय्हि वसल्लम ने भी इसी तरह पिया था। तो उस का जवाब यह है के हुज़ूर सलल्लाहु अलय्हि वसल्लम ऐहराम की हालत में थे। ऐहराम में सर पर टोपी नहीं होती है। और वहाँ काबा नज़र आता था। लिहाज़ा गैर मुहरिम और जो काबा के पास न हो उसकी पाबन्दी करना और लोगों से करवाना मुनासिब नहीं।

والله اعلم بالصواب

♦ आबे ज़मज़म में सादा (आम) पानी मिलाने का हुक्म।

अस्सवाल

- कया आबे ज़मज़म के साथ आम पानी मिला कर बतोंरे ज़मज़म इस्तेमाल किया जा सकता है ?
- ओर ज़मज़म के साथ आम पानी मिलाना, या आम पानी के साथ ज़मज़म मिलाना रुत्बे के ऐतेबार से कोई फ़र्क़ हुवा करता है ?
- शरई दलील के साथ जवाब तहरीर फरमाए।

अलजवाब

حامدا و مصلیا و مسلما

आबे ज़मज़म का रुत्बा दीगर पानी से बहुत बुलंद है, आबे ज़मज़म में बरकत, गिज़ाइयत और बीमारीयों से शिफ़ा हे।

आबे ज़मज़म में अगर आम पानी की मिलावट क़लील (थोड़ी/कम) मिक़्दार में हो और आबे ज़मज़म ग़ालिब (ज़ियादा) हो तो उसे आबे ज़मज़म कहा जा सकता हे, और उस तरह उसको इस्तेमाल किया जा सकता हे।

लेकिन अगर आम पानी ग़ालिब हो और ज़मज़म बहुत कम हो तो उसे आबे ज़मज़म केहना या ज़मज़म केह कर पीलाना दुरुस्त नहीं।

إذا اختلط اللبن بالماء واللبن هو الغالب تعلق بالتحريم وإن غلب الماء لم يتعلق به

التحريم ..... المغلوب غير موجود حكماً حتى لا يظهر بمقابلة الغالب الخ (هدايه)

📘 **माखूज़ : दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबन्द, फतवा नंबर : १६७७३।**

واللہ اعلم بالصواب

♦ हज मक़बूल होने की अलामत।

अस्सवाल

➢ मुफ़्ती साहब मेरी हज क़ुबूल हो गयी उसकी कोई अलामत है ? अगर है तो हवाले के साथ बताने की गुज़ारिश.

अलजवाब

حامدا و مصليا و مسلما

जी हाँ, आप की हज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मक़बूल हो गयी उसकी अलामत ये है के हज के बाद आमले सलेहा का एहतिमाम और पाबन्दी और आख़िरत की तरफ रगबत बढ़ जाए और पहली हालत से बेहतर हो जाये {मर्द दाढ़ी न हो तो दाढ़ी रख ले, तखनो के ऊपर पायजामा न पहनता हो तो पहनना शुरू करे, और औरत पर्दा न करती हो तो पर्दा करना शुरू करे और दोनों शरई लिबास का एहतिमाम करे} इस लिए हज के बाद अपने आमाल और अख़लाक़ का ख़ास तोर से ख्याल रखना चाहिए और ताअत और इबादत में खूब कोशिश करनी चाहिए, गुनाह और बुरे अख़लाक़ से नफरत और परहेज़ करना चाहिए,

📗 **मुअल्लिमुल हुज्जाज सफा ३३७ से ३४१।**

ये बातें पैदा हो गयी इंशाअल्लाह आप का हज क़ुबूल है. अगर नहीं हुई तो पैदा करने की पूरी कोशिश करे और हज क़बूल होने की दुआ करता रहे,

आप हमें और पूरी उम्मत को अपनी दुआओ में याद फरमाएं।

والله اعلم بالصواب